न्यायालय सहायक कलक्टर (शहर), बीकानेर

अज अदालत–पीठासीन अधिकारी :– बिन्दू खत्री आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः– 47 / 2015

आरसीएमएस नम्बरः– 2015 / 00141

1. गंगाराम पुत्र तरखाराम जाति जाट निवासी जैतपुरा तहसील राजगढ जिला चूरू हाल खारडा तहसील व जिला बीकानेर

......वादी

—बनाम—

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बीकानेर

......प्रतिवादी

वाद बाबत घोषणात्मक एवं दुरुस्ती 88, 89, 188 राज. काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थितः–

1. श्री सुरजाराम गोदार अभिभाषक वादी।
2. स्टेट की और से राजपेरोकार

निर्णय

दिनांकः– 16/3/22

इस वाद पत्र में सक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ग्रम खारडा तहसील बीकानेर के खसरा नम्बर 920 तादादी 2.82 हैक्टयर, खसरा नम्बर 921 में 1.30 है., खसरा नम्बर 960 में 2.74 है., खसरा नम्बर 961 में 1.00 हैक्टयर, कुल 4 किता तादादी 7.86 हैक्टयर भूमि का रिकार्डेड खातेदार है। सैटलमेट विभाग ने बिना क्षेत्राधिकार के ग्राम खारडा तहसील बीकानेर के हाल खसरा नम्बर 960 व 961 के उतरी सीमा से सदियों से रास्ता कायम था उसको हटाकर उक्त खेत के दक्षिण में रास्ता भूप्रबन्ध विभाग के दर्ज कर दिया जिसका अधिकार सैटलमेट विभाग को नही था, इसके बावजूद भी पूर्व के रास्ते होते हुए उक्त खसरा नम्बर के दक्षिण पूर्वी सीमा पर अलग रास्ता कायम कर दिया जो विधि विरूद्व होने के कारण हर प्रकार से निरस्त योग्य है। खेत खसरा नम्बर 960 व 961 की उतरी सीमा पर जो रास्ता था उसका खसरा नम्बर 945 जो कि राजस्व रिकार्ड में रास्ता आज भी दर्ज है। जबकि भूप्रबंधक विभाग ने बिना किसी न्यायालय के आदेश के उक्त खसरा नम्बर की दक्षिण पूर्वी सीमा पर अन्य रास्ता कायम कर दिया जो बिना क्षेत्राधिकार के होने के कारण दुरस्त किये जाने योग्य है क्योकि खसरा नम्बर 960 व खसरा 961 के उतरी सीमा में जो रास्ता कायम था उस पर कृषि विपणन बोर्ड द्वारा मौके पर सडक बना दी गयी है जो कि मौके पर चालू है तथा उसे रास्ते से आवागमन हो रहा है इसलिए भी भूप्रबंध विभाग द्वारा पूर्व रास्ते के होते हुवे बिना किसी अधिकार से उक्त खसरा नम्बर के दक्षिणी पूर्वी सीमा पर जो रास्ता कायम किया गया है उसे निरस्त कर पूर्व नक्शे में दर्ज रास्ते के अनुसार ही रिकार्ड में रास्ता कायम रखा जावे, इससे खातेदार के खेत मे जो दो रास्ते कायम कर दिये गये है उसे दुरस्त कर भूप्रबंध विभाग के आदेश से जो रास्ता कायम किया गया है उसे निरस्त करने की घोषणा की कृपा करे, इससे सरकार को भी किसी प्रकार का नुकसान नही होगा, इसलिए वादी का वाद स्वीकार किया जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करे। अनुवान के प्रकरण पूर्व ग्रम पंचायत रूणिया बडाबास हाल ग्राम पंचायत राजेरा ने सर्व सहमति [illegible] पास सैटलमेट विभाग के द्वारा दक्षिणी पूर्वी सीमा पर जो रास्ता कायम [illegible] कायम उस पर डामर रोड बनाया जाना संभव नही होने के कारण [illegible] 960 व 961 के [illegible] सीमा जो कि राजस्व रिकार्ड में गै.मु. रास्ता दर्ज था उसी पर सडक [illegible] सीमा जो कि राजस्व रिकार्ड में दर्ज था उसी अनुसार सडक बनवाई गई है इसलिए सैटलमेट के [illegible] रास्ता मौके व राजस्व रिकार्ड में दर्ज था उसी अनुसार सडक बनवाई गई है इसलिए सैटलमेट के [illegible] रास्ता मौके व राजस्व रिकार्ड में दर्ज था उसी अनुसार [illegible] जो बिना अधिकार के रास्ता कायम कर दिया है उसे दुरस्त कर पूर्व का रास्ता जो उतरी सीमा पर था, जो बिना अधिकार के रास्ता कायम कर दिया है उसी मौके पर सडक बना दी गई है उसी के अनुसार ही राजस्व रिकार्ड सदियों से चला आ रहा है तथा उसी मौके पर सडक बना दी गई है उसी के अनुसार ही राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज करने की कृपा करे। जिसकी बाबत घोषणात्मक व रिकार्ड दुरस्ती का आदेश प्रदान करने का रास्ता दर्ज करने की कृपा करे। वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्रम खारडा तहसील बीकानेर के हाल [illegible] स्वीकार करने की कृपा करे। वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्रम खारडा तहसील बीकानेर के हाल खसरा नम्बर 960 व 961 के दक्षिणी पूर्वी सीमा पर सैटलमेट विभाग के द्वारा कायम रास्ता को निरस्त कर राजस्व रिकार्ड में सदियों से चालू रास्ता जो कि राजस्व रिकार्ड में दर्ज था जिस पर वर्तमान में सडक का निर्माण हो चुका है, के स्थान पर ही नक्शे में रास्ता कायम किये जाने के आदेश प्रदान करे।

सहायक कलक्टर बीकानेर शहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bindu Kh
Date: 2022.03.23 10:45:20
Reason: SelfAttested

इस वाद के पेश होने पर वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी स्टेट की और से राजपेरोकार ने जबाबदावा पेश कर निवेदन किया की राजस्व जमांबदी ग्राम खारडा पटवार मौजा राजेरा के खसरा नम्बर 920, 921, 960, 961 की कुल 7.86 हैक्टयर भूमि गंगाराम पुत्र तरखाराम जाति जाट साकिन जैतपुरा तहसील राजगढ जिला चूरू खातेदार दर्ज है। वर्तमान नक्शे में खसरा नम्बर 960, 961 के दक्षिणी सीमा पर जो रास्ता दर्शाया गया है वहां मौके पर कोई रास्ता नही है। मुताबिक ग्राम पंचायत प्रस्ताव मे रास्ता खसरा नम्बर 920, 921 के दक्षिणी सीमा पर चलता है तथा सडक भी वर्तमान मे बनी हुई है। खसरा नम्बर 960, 961 के उतरी सीमा पर रास्ता कायम किया जाना उचित है। खसरा नम्बर 960, 961 की दक्षिणी सीमा पर दर्शाया गया रास्ता निरस्त किया जाता है तो राज्य सरकार को कोई आपति नही है।

बहस वकिल वादी सुनी। वकिल वादी ने बहस करते हुवे निवेदन किया की खसरा नम्बर 960, 961 की उतरी सीमा पर जो रास्ता कायम है वहां सडक बन चुकी है। मौके पर चालू है। खसरा नम्बर 960, 961 की दक्षिणी पूर्वी सीमा पर जो रास्ता कायम है, वह मौके पर चालू नही है। इसलिए निरस्त फरमाया जावे।

इसके विपरीत राजपैरोकार ने बहस करते हुवे निवेदन किया की खसरा नम्बर 960, 961 की उतरी सीमा पर कायम रास्ता जिसपर वर्तमान मे सडक बन चुकी है तथा मौके पर चालू है। इसलिए इस रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाना उचित है। खसरा नम्बर 960, 961 की दक्षिणी पूर्वी सीमा पर कायम रास्ता कोई आवागमन के काम नही आता है। मौके पर चालू सडक का रकबा रास्ते के रकबे से अधिक है। तथा गलत रास्ता भूप्रबंधक द्वारा कायम किया गया है। इस रास्ता का राजस्व रिकार्ड से हटाया जाता है तो राज्य सरकार को कोई आपति नही है।

हमने बहस उभय पक्ष सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। संलग्न दस्तावेज नक्शा, जमांबदी, ग्राम पंचायत प्रस्ताव, का अध्ययन किया। खसरा नम्बर 920, 921, 960, 961 का वादी स्वंय खातेदार है। दोनों रास्ते वादी की खातेदारी भूमि मे से होकर गुजर रहे है। राजपेरोकार का कथन है कि खसरा नम्बर 960, 961 की दक्षिणी पूर्वी सीमा पर कायम रास्ता मौके पर चालू नही है। वर्तमान में चालू रास्ता पर सडक बन चुकी है। खसरा नम्बर 960, 961 की दक्षिणी पूर्वी सीमा पर कायम रास्ता को राजस्व रिकार्ड से हटाया जाना उचित प्रतीत होता है। तथा वर्तमान मे चालू रास्ता जिसपर सडक बन चुकी है को राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाना न्यायोचित होगा।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाकर। तहसीलदार बीकानेर को आदेश दिये जाते है, कि खसरा नम्बर 960, 961 की दक्षिणी पूर्वी सीमा पर कायम रास्ता जो मौके पर चालू नही को राजस्व रिकार्ड से हटाया/डिलीट किया जाकर रास्ते की भूमि को खातेदार के खाते में सम्मलिति की जावे तथा खसरा नम्बर 960, 961 की उतरी सीमा पर वर्तमान में चालू रास्ता जिसपर सडक बन चुकी है। को राजस्व नक्शा में तरमीम करे। रास्ते /सडक मे आ रहे रकबा को गै. मु. सडक का अंकन करे। प्रकरण नम्बर से कम किया जाकर। दाखिल दपतर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.03.2022 को सरे इजलास सुनाया।

सहायक कलक्टर
बीकानेर शहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bindu Khatri
Date: 2022.03.23 10:45:20 IST
Reason: SelfAttested